फॉर्म–अ

(परिपत्र दो–1 की कण्डिका 6 देखिये)

राजस्व आदेश पत्र (रेव्हेन्यू ऑर्डरशीट)

अनुविभागीय अधिकारी नवागढ़ के न्यायालय में मामला कमांक .... **सन् 2025–2026**

विषय– **वृक्ष काटने की अनुमति बाबत्।** मामले की श्रेणी– **अ–62**

ग्राम– नांदघाट बंदोबस्त कमांक.............................पटवारी हल्का कमांक **तहसील– नांदघाट**

कलेक्टर का कमांक.................................सन् 20 –20 अनुविभागीय अधिकारी का कमांक 22 सन्–20– 20

तहसीलदार का कमांक.................................सन् 20 – 20 नायब तहसीलदार का कमांक.........................सन् –20 –20

आदेश अथवा कार्यवाही तारीख और स्थान (1)	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश अथवा कार्यवाही (2)	जहां आवश्यक हो, पक्षों अथवावकीलोंके हस्ताक्षर आदेशों का पालन करने वाले लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर और ऐसे पालन की तारीख (3)
13/1/26	**कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग मुंगेली, संभाग मुंगेली** का ज्ञाप.कमांक / 6587 / तक. / 2025 / मुंगेली, दिनांक 23.12.2025 के अनुसार सी.आर.आई.एफ. योजनान्तर्गत अनुमोदित कार्य जिला मुंगेली के नांदघाट–मुंगेली (राज्य मार्ग क्र. 10) मार्ग (बेमेतरा जिला अंतर्गत) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य किया जाना है। उक्त मार्ग में विद्यमान वृक्षों की कटाई सड़क के मध्य से दोनो तरफ 10–10 मीटर किया जाना है। मार्ग के दोनों (दायें / बायें) तरफ कुल 2532 वृक्ष आ रहे है। मार्ग चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के दौरान वृक्ष कटाई नहीं होने के कारण निर्माण कार्य की प्रगति प्रभावित होगी। अतः तहसील नांदघाट क्षेत्रांतर्गत मार्ग के दोनों (दायें / बायें) तरफ आने वाले उक्त वृक्ष कटाई की अनुमति प्रदाय करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। – प्रकरण पंजीबद्ध किया जावे। – दैनिक समाचार पत्र में ईश्तहार प्रकाशन कराई जावे। – राजस्व निरीक्षक एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी से संयुक्त जांच प्रतिवेदन लिया जावे। (हस्ताक्षर) अनुविभागीय अधिकारी (रा) नवागढ़, जिला बेमेतरा(छ.ग.)	

- प्रकरण पेश
- प्रकरण में दैनिक समाचार पत्र अमनपथ जादूल-
- पुर में दिनांक 17/01/2026 को प्रकाशित।
- पेपर कतरन प्रकरण में संलग्न।
- संबंधित तहसीलदार से संयुक्त जांच
  प्रतिवेदन प्राप्त।
- प्रकरण अवलोकनार्थ पश्चात अग्रिमार्थ प्रस्तुत।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग मुंगेली संभाग मुंगेली

ज्ञाप क्र./6587/तक./2025/ मुंगेली, दिनांक 23/12/2025

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),
नवागढ़, जिला–बेमेतरा(छ.ग.)

विषय :– सी.आर.आई.एफ. योजनान्तर्गत अनुमोदित कार्य जिला बेमेतरा के नांदघाट मुंगेली (राज्य मार्ग क्र. 10) मार्ग के लं. 36.40 कि.मी. का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य में वृक्षों की कटाई हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :– (1) File No. RW.NH-28014/01/2024/CG/CRIF/Zone West (Computer No. 237766) GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAY (West Zone) Transport Bhawan 1, Parliament Street, New Delhi 110001 On Dated 14.10.2024

(2) कार्यालय वनमण्डलाधिकारी जिला–दुर्ग का पत्र क्र. तक.अधि/2025/5012 दुर्ग दिनांक 19.11.2025

——000——

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि सी.आर.आई.एफ. योजनान्तर्गत अनुमोदित कार्य जिला मुंगेली के नांदघाट मुंगेली (राज्य मार्ग क्र. 10) मार्ग (बेमेतरा जिला अंतर्गत) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य किया जाना है। उक्त मार्ग में विद्यमान वृक्षों की कटाई सड़क के मध्य से दोनो तरफ 10–10 मीटर किया जाना है। जिसको गणना संदर्भित पत्र क्र. 02 में वनमण्डलाधिकारी–दुर्ग के द्वारा की गई है। जिसमें 2532 नग वृक्षों का विद्रोहन किया जाना है। तत्संबंध में 2532 नग वृक्षों के विद्रोहन हेतु अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

सहपत्र :– संदर्भित पत्र क्र. 02 की छायाप्रति।

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग (भ/स)
मुंगेली संभाग मुंगेली (छ.ग.)

पृ.क्र./6588/तक./2025/ मुंगेली, दिनांक 23/12/2025

Steno
Chetan
8/1/26

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर परिक्षेत्र, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर मण्डल, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. कलेक्टर महोदय, जिला–बेमेतरा की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, जिला–दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्र :– शून्य।

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग (भ/स)
मुंगेली संभाग मुंगेली (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नवागढ़, जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क. / अ–62
वर्ष 2025–26

एतद् द्वारा सर्वसाधारण अनुविभाग नवागढ़ जिला बेमेतरा को सूचित किया जाता है कि कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग मुंगेली, संभाग मुंगेली का ज्ञाप. कमांक/6587/तक./2025/ मुंगेली, दिनांक 23.12.2025 के अनुसार सी.आर.आई.एफ. योजनान्तर्गत अनुमोदित कार्य जिला मुंगेली के नांदघाट–मुंगेली (राज्य मार्ग क. 10) मार्ग (बेमेतरा जिला अंतर्गत) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य किया जाना है। उक्त मार्ग में विद्यमान वृक्षों की कटाई सड़क के मध्य से दोनो तरफ 10–10 मीटर किया जाना है। मार्ग के दोनों (दायें/बायें) तरफ कुल 2532 वृक्ष आ रहे है। मार्ग चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के दौरान वृक्ष कटाई नहीं होने के कारण निर्माण कार्य की प्रगति प्रभावित होगी। अतः तहसील नांदघाट क्षेत्रांतर्गत मार्ग के दोनों (दायें/बायें) तरफ आने वाले उक्त वृक्ष कटाई की अनुमति प्रदाय करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। अतः अनुविभाग नवागढ़ के तहसील नांदघाट क्षेत्रांतर्गत मार्ग के दोनों (दायें/बायें) तरफ प्रभावित होने वाले वृक्ष कटाई की अनुमति प्रदाय किये जाने पर किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 28/01/2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 13/01/2025 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.),
नवागढ़, जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

पृ.कमांक/ /प्र–2/अ.वि.अ./2026 नवागढ़, दिनांक 13/01/2026

प्रतिलिपि :–

1– संवाददाता दैनिक समाचार पत्र .... को प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.),
नवागढ़, जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

अब दूरी नहीं बनेगी पढ़ाई में बाधा: शा. हायर सेकेंडरी स्कूल गंगौटी में 23 छात्राओं को बांटी गई साइकिलें

साइकिल पाकर खिल उठे छात्राओं के चेहरे, अब शिक्षा की राह होगी आसान

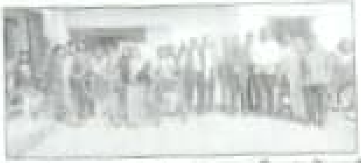

सायकल वितरण में स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

[illegible]

ओपेरा के अश्लील नृत्य पर छत्तीसगढ़ में नोटों की बारिश तो उड़ीसा में जूता-चप्पल और कुर्सी

[illegible]

अति नक्सल प्रभावित पीलूर गांव में स्कूल भवन का भूमि पूजन, ग्रामीणों में खुशी

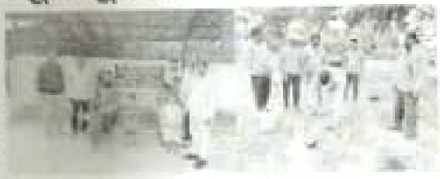

[illegible]

गीदम में कांग्रेस ने किया भाजपा अध्यक्ष का पुतला दहन, पुलिस से हुई झूमा-झटकी

[illegible]

किसानों के धान का एक-एक दाना खरीदेगी साय सरकार : देवेंद्र ठाकुर

[illegible]

युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष बनाये जाने पर कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल

[illegible]

नाम परिवर्तन

[illegible]

नाम परिवर्तन

[illegible]

नाम परिवर्तन

[illegible]

शपथ-पत्र

[illegible]

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नवागढ़, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

// ईश्तहार //

रा.प्र.फ. / अ-62 वर्ष 2025-26

एतद् द्वारा सर्वसाधारण अनुविभाग नवागढ़ जिला बेमेतरा को सूचित किया जाता है कि कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग मुंगेली, संभाग मुंगेली का ज्ञाप. कमांक/6587/तक./2025/ मुंगेली, दिनांक 23.12.2025 के अनुसार सी.आर.आई.एफ. योजनान्तर्गत अनुमोदित कार्य जिला मुंगेली के नांदघाट-मुंगेली (राज्य मार्ग क. 10) मार्ग (बेमेतरा जिला अंतर्गत) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य किया जाना है। उक्त मार्ग में विद्यमान वृक्षों की कटाई सड़क के मध्य से दोनो तरफ 10-10 मीटर किया जाना है। मार्ग के दोनों (दायें/बाये) तरफ कुल 2532 वृक्ष आ रहे हैं। मार्ग चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के दौरान वृक्ष कटाई नहीं होने के कारण निर्माण कार्य की प्रगति प्रभावित होगी। अतः तहसील नांदघाट क्षेत्रांतर्गत मार्ग के दोनों (दायें/बायें) तरफ आने वाले उक्त वृक्ष कटाई की अनुमति प्रदाय करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। अतः अनुविभाग नवागढ़ के तहसील नांदघाट क्षेत्रांतर्गत मार्ग के दोनों (दायें/बाये) तरफ प्रभावित होने वाले वृक्ष कटाई की अनुमति प्रदाय किये जाने पर किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 28/01/2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 13/01/2026 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
नवागढ़ ,जिला -बेमेतरा (छ.ग.)

कार्यालय तहसीलदार नांदघाट जिला – बेमेतरा (छ.ग)

क्रमांक /412/ तह./2026

नांदघाट दिनांक 24/03/26

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू–अर्जन अधिकरी
नवागढ़

विषय :– संयुक्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत्

संदर्भ :– 1. कार्यालय कार्यापालन अभियता लोकनिर्माण विभाग संभाग बेमेतरा छ.ग के ज्ञापन कमांक /1218/प्र.क/2026/वन विभाग/मुंगेली दिनांक 11/03/2026

2. आपके न्या. के ज्ञापन कमांक/415/प्र.2/अ.वि.अ./2026 नवागढ़ दिनांक 12/03/2026

उपरोक्ता संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि नांदघाट से मुंगेली मार्ग ल. 36.40 कि.मी का चौड़ीकरण एवं मजबूती करण हेतु वृक्षों की कटाई की अनुमती हेतु आपके न्या. के ज्ञापन कमांक/415/आदेश दिनांक 12/03/26 के परिपालन में संयुक्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में हल्का पटवारी, राजस्व निरीक्षक, बदनारा, नांदघाट, लोकनिर्माण विभाग, वनमण्डल अधिकारी परिक्षेत्र नवागढ़ अ.वि.अ. विद्युत विभाग,अ.वि.अ.जल संसाधन, विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से स्थल जाकर नांदघाट से मुंगेली मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित विभिन्न प्रकार के वृक्षों का चिन्हाकन किया गया।

नांदघाट से मुंगेली मार्ग में प्रभावित चौड़ीकरण प्रभावित वृक्षों की जानकारी पृथक से बनाया गया सड़क की दायां तरफ एवं सड़क के बायां तरफ के वृक्षों की सूची नीचे निम्नानुसार है ।

प्रतिवेदन सादर प्रस्तुत है

टिप :– स्थल पंचनामा संलग्न है।

तहसीलदार नांदघाट

कार्यालय तहसीलदार नांदघाट जिला – बेमेतरा (छ.ग)

नांदघाट दिनांक 23/03/26

क्रमांक / / तह./2026

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू–अर्जन अधिकरी
नवागढ़

विषय :– संयुक्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत्

संदर्भ :– 1. कार्यालय कार्यापालन अभियता लोकनिर्माण विभाग संभाग बेमेतरा छ.ग के
ज्ञापन कमांक /1218/प्र.क/2026/वन विभाग/मुंगेली दिनांक 11/03/2026
2. आपके न्या. के ज्ञापन कमांक/415/प्र.2/अ.वि.अ./2026 नवागढ़ दिनांक 12/03/2026

उपरोक्ता संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि नांदघाट से मुंगेली मार्ग ल. 36.40 कि.मी का चौडीकरण एवं मजबूती करण हेतु वृक्षों की कटाई की अनुमती हेतु आपके न्या. के ज्ञापन कमांक/415/आदेश दिनांक 12/03/26 के परिपालन में संयुक्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में हल्का पटवारी, राजस्व निरीक्षक, बदनारा, नांदघाट, लोकनिर्माण विभाग, वनमण्डल अधिकारी परिक्षेत्र नवागढ अ.वि.अ. विद्युत विभाग,अ.वि.अ.जल संसाधन, विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से स्थल जाकर नांदघाट से मुंगेली मार्ग चौडीकरण मे प्रभावित विभिन्न प्रकार के वृक्षों का चिन्हाकन किया गया।

नांदघाट से मुंगेली मार्ग मे प्रभावित चौडीकरण प्रभावित वृक्षों की जानकारी पृथक से बनाया गया सडक की दायां तरफ एवं सडक के बायां तरफ के वृक्षों की सूची नीचे निम्नानुसार है ।

अतः प्रतिवेदन सादर प्रस्तुत है

टिप :– स्थल पंचनामा संलग्न है।

तहसीलदार नांदघाट

23/03/26
रा.नि. नांदघाट

P.W.D.
Nawagarh

23/03/26
प.ह.नं. 27

23/3/26
राजस्व निरीक्षक
बदनारा

सहा. वन परिक्षेत्र अधिकारी
नवागढ़

23/03/26
PHN 09

JE(O&M) Nandghat
CSPDCL

Scanned with CamScanner

पंचनामा

आज दिनांक 23/03/2026 को संयुक्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत
करने नांदघाट से मुंगेली मार्ग लम्बाई 36.40 कि.मी.
चौड़ीकरण मजबूतीकरण हेतु वृक्षो की कटाई की अनुमति
हेतु न्याया० अनु० वि० अधिकारी (रा०) एवं मु० अनि अधिकारी
नवागढ़ जिला बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक/415/प्र.2/अ.वि.द.
2026 नवागढ़ दिनांक 12/03/2026 के परिपालन में हल्का
पटवारी राजस्व निरीक्षक नांदघाट, ~~[illegible]~~, बेदनारा, सम्बलपुर
लोक निर्माण विभाग, वनमण्डल अधिकारी परिक्षेत्र नवागढ़
जिला बेमेतरा द्वारा संयुक्त जांच के लिये स्थल पर
उपस्थित होकर नांदघाट से मुंगेली मार्ग चौड़ीकरण
में प्रभावित विभिन्न प्रजाति के वृक्षों का चिन्हांकन
किया गया। दाया तरफ 1306 और बायातरफ 1269 वृक्ष पाया गया
कुल 2575 विभिन्न प्रजाति के वृक्ष है।
पंचनामा अधोहस्ताक्षरित व्यक्तियों के समक्ष
स्थल पर बनाया गया एवं पढ़कर सुनाया गया।

23/03/26
ग्रा० नि० नांदघाट
कार्यालय नांदघाट, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

23/03/26
प.ह.नं. 27

SIE
P.W.D.
Nawagarh

राजस्व निरीक्षक
बेदनारा

सहा. वन परिक्षेत्र अधिकारी
नवागढ़

23/03/26
PHNo 9

JE (फील्ड) CSPDCL,
Nawagarh

Scanned with CamScanner

कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग मुंगेली संभाग मुंगेली

ज्ञाप क्र. 1218 /तक./2026/वन विभाग/ मुंगेली, दिनांक 11/03/26

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.),
बेमेतरा, जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

विषय :– **नांदघाट मुंगेली मार्ग लंबाई 36.40 कि.मी. में पेड़ कटाई की अनुमति प्रदान करने बाबत्।**

——00——

विषयांतर्गत नांदघाट मुंगेली मार्ग लंबाई 36.40 कि.मी का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण की निविदा प्रकरण स्वीकृति की ओर है। जिसमें निविदा स्वीकृति उपरांत तत्काल कार्य प्रारंभ कराया जाना है। उक्त मार्ग निर्माण में आने वाले 2532 नग वृक्षों के कटाई हेतु वनमंडलाधिकारी दुर्ग वनमंडल द्वारा राशि रू. 7031480.00 का डिमाण्ड नोट इस कार्यालय की ओर प्रेषित किया गया है। जिसका मांग पत्र प्रमुख अभियंता कार्यालय की ओर प्रेषित किया गया है। उक्त राशि वनमंडलाधिकारी को प्रदाय किये जाने उपरांत 2532 नग वृक्षों की कटाई का कार्य वनमंडलाधिकारी, वनमंडल दुर्ग द्वारा किया जाना है।

अतः उक्त मार्ग निर्माण में आने वाले 2532 नग वृक्षों की कटाई हेतु वनमंडलाधिकारी, वनमंडल दुर्ग को अनुमति प्रदाय करने का कष्ट करें।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार।

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग
मुंगेली संभाग मुंगेली (छ.ग.)

ज्ञाप क्र.................../तक./2026 /रोड सेफ्टी/ मुंगेली, दिनांक..................

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय, जिला–बेमेतरा की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. वनमंडलाधिकारी, दुर्ग वनमंडल, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्र :– शून्य।

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग
मुंगेली संभाग मुंगेली (छ.ग.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.),एवं भू– अर्जन अधिकारी नवागढ़, जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

ज्ञापन

क्रमांक/415 /प्र–2/अ.वि.द./2026 नवागढ़, दिनांक 12.03.2026

प्रति,

01. तहसीलदार, नांदघाट
02. अनुविभागीय अधिकारी लोकनिर्माण विभाग नवागढ़
03. राजस्व निरीक्षक नांदघाट/मारो
04. अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग विभाग नवागढ़
05. अनुविभागीय अधिकारी विद्युत विभाग नवागढ़
06. वन मंडल अधिकारी परिक्षेत्र नवागढ़, जिला – बेमेतरा
07. संबंधित हल्का पटवारी प.ह.न.................

विषय :– संयुक्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भः– कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग बेमेतरा छ.ग.के ज्ञापन क्रमांक/1218/तक/2026/वन विभाग/मुंगेली दिनांक 11.03.2026

*****

उपरोक्त संदर्भित विषयानुसार नांदघाट से मुंगेली मार्ग ल. 36.40 किमी. का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु वृक्षो की कटाई की अनुमति हेतु पत्र प्राप्त हुआ है। मार्ग के दोनो तरफ कुल वृक्षो की संयुक्त रूप से जांच कर प्रभावित वृक्षो की जानकारी की आवश्यकता है। ताकि संबंधित विभाग को नियमानुसार वृक्ष कटाई हेतु अनुमति जारी किया जा सके।

उपरोक्तानुसार संयुक्त रूप से जांच कर स्पष्ट जांच प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.) एवं भू - अर्जन अधिकारी,
नवागढ़ जिला-बेमेतरा (छ.ग.)
नवागढ़, दिनांक 12.03.2026.

पृ.क्रमांक/416 /प्र–2/अ.वि.द./2026

प्रतिलिपिः-

01. कलेक्टर महोदय जिला बेमेतरा की ओर सादर सूचनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.) एवं भू - अर्जन अधिकारी
नवागढ़ जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, नवागढ़, जिला बेमेतरा (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/ 469 /अ.वि.अ./प्र–2/2026

नवागढ़,दिनांक 24 /03/2024

प्रति,

कार्यालय कार्यपालन अभियंता,
लोक निर्माण विभाग मुंगेली, जिला – मुंगेली(छ0ग0)

विषय – वृक्ष कटाई की अनुमति प्रदान करने बाबत् ।

———0000———

विषयांतर्गत कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग मुंगेली (छ. ग.) का ज्ञाप क्रमांक 6587/तक./मुंगेली दिनांक 23.12.2026 के अनुसार सी.आर.आई.एफ. योजनान्तर्गत अनुमोदित कार्य जिला बेमेतरा के नांदघाट मुंगेली का चौड़ीरण एवं मजबूतीकरण हेतु छ.ग. शासन लो. निवि. मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है एवं उक्त कार्य की यूटिलिटी शिफ्टिंग, भू–अर्जन व वन व्यपवर्तन हेतु छ.ग. शासन लो नि.वि. मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर के द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त मार्ग निविदा पूर्ण हो गया है। निविदा की प्रारंभिक औपचारिकताएं पूर्ण कर शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाना है। मार्ग के दोनों (दायें / बाये) तरफ कुल 2532 वृक्ष आ रहे है। मार्ग निर्माण के दौरान वृक्ष कटाई नहीं होने के कारण निर्माण कार्य की प्रगति प्रभावित होगी। अतः तहसील नवागढ़ क्षेत्रांतर्गत मार्ग के दोनों (दायें/बाये) तरफ आने वाले वृक्ष कटाई की अनुमति प्रदाय करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

तत्संबंध में राजस्व निरीक्षणगण एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुए बेमेतरा–नवागढ़–मुंगेली मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण में अनुविभाग नवागढ़ अंतर्गत प्रभावित (कुल 2532 नग) वृक्षों को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन रायपुर कमांक 61 दिनांक 11 फरवरी 2022 के अनुसार कमाक एक 4–34/सात–1/2021. छ.ग. भू–राजस्व संहिता की धारा 258 की उपधारा–2 के खण्ड 61 एवं 62 सहपठित धारा 240–241 के अनुसार काटने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

संलग्न– राजस्व निरीक्षक एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी बेमेतरा का संयुक्त रूप से प्रस्तुत वृक्षों की सूची।

Recd
[signature]

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नवागढ़ जिला-बेमेतरा छ.ग.

[signature]
अनुविभागीय अधिकारी,
नवागढ़, जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर महोदय मुंगेली जिला – मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. कलेक्टर महोदय जिला बेमेतरा की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. वन परिक्षेत्र अधिकारी बेमेतरा की ओर सूचनार्थ अग्रेसित कि वे उक्त वृक्षों को काटने की कार्यवाही सम्पन्न कराने एवं कटे हुए वृक्षों को अपने विभाग के संनरक्षण में रखें।
4. संबधित राजस्व निरीक्षण को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित। मौके पर आपके स्वयं की उपस्थिततति में वृक्ष कटाई की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करे।
5. कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग बेमेतरा को सूचनार्थ प्रेषित कि उनको जितने वृक्षो की कटाई की अनुमति प्रदान की जा रही है। उतने ही वृक्ष निर्माण कार्य पूर्ण होने पश्चात मार्ग के दोनो ओर शासकीय भूमि पर वन विभाग के सहयोग से वृक्षारोपन करने की कार्यवाही करने की सशर्त पर अनुमति प्रदान की जाती है।

अनुविभागीय अधिकारी,
नवागढ़, जिला–बेमेतरा (छ.ग.)